[illegible] का न्यायालय, सरायकेला।

[illegible] वाद सं0– 207B/2019–20

[illegible] काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

[illegible] ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

[illegible] महतो..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अनुपालित
26.06.20[illegible]		

[illegible] – [illegible] नाथ महतो पिता स्व0 गोविन्द महतो, ग्राम–बेड़ाकुदर, [illegible]ना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड),जाति–कुर्मी।

[illegible] – पानी महतो पति श्री मेघलाल महतो, ग्राम–बेड़ाकुदर, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 15.02.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता पानी महतो पति श्री मेघलाल महतो, ग्राम–बेड़ाकुदर, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: **भूमि का विवरण** ::

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बेड़ाकुदर	राजनगर / 70	14	332	73डि0
		15	331	11.5डि0
			कुल–	**84.5डि0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 276 दिनांक 17.03.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता के नाम से खतियान एवं पंजी–II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–10.66.50 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता भोला नाथ महतो पिता स्व0 गोविन्द महतो, ग्राम–बेड़ाकुदर, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता पानी महतो पति श्री मेघलाल महतो, ग्राम–बेड़ाकुदर, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–84.5डि0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

26/06/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।